कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ.प्र. शासन 23-सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।

विज्ञापन संख्या-581/54-1-13/8(15)/2013टीसी दिनांक 25 मई, 2013

EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा जारी समान मार्गदर्शी सिद्धान्त-2008 (यथा संशोधित-2011) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के लिये स्वीकृत समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) की महालेखा परीक्षक (सी० एण्ड ए० जी०) से अनुमोदित चार्टर्ड एकाउन्टेंट से **राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी (एसएलएनए) का ऑडिट कराने तथा निर्धारित चार्टर्ड एकाउन्टेंट के पैनलों से डब्ल्यूसीडीसी, पीआईए एवं डब्ल्यूसी का किये गये आडिट की ऑडिट रिपोर्ट्स को संकलित करने के लिये इच्छुक फर्मों से दिनांक 20.05.2013 को विज्ञापन संख्या 512/54-1-13/8(15)/2013 टीसी दिनांक 02 मई, 2013 के माध्यम से ई०ओ०आई० के आवेदन आमंत्रित किये गये थे, को एसएलएनए के आडिट के कार्य हेतु दर एवं ऑडिट रिपोर्ट के संकलन की दर नियत न होने के कारण निरस्त करते हुए संशोधित निविदा निम्न तकनीकी शर्तों के अधीन दिनांक 12.06.2013 को सायं 5.00 तक आमंत्रित की जाती है।** आवेदनकर्ता फर्म तकनीकी शर्तों को विवरण संबधी लिफाफा निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व **संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट लेबिल नोडल एजेन्सी, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, 23सी, गोखले मार्ग, लखनऊ** के कार्यालय में उपलब्ध करायेगें :-

क्र0	शर्तें
1.	फर्म भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के चार्टर्ड एकाउन्टेंट के अनुमोदित पैनल में पंजीकृत होनी चाहिए।
2.	फर्म को लेखा परीक्षा के कार्य का 15 वर्षो का अनुभव होना चाहिए।
3.	फर्म में कम से कम 05 पार्टनर होने चाहिए।
4.	फर्म में कम से कम 04 एफ०सी०ए० पार्टनर होने चाहिए।
5.	फर्म का गत 3 वर्षो का न्यूनतम टर्न ओवर प्रति वर्ष ₹ 30.00 लाख होना चाहिए।
6.	फर्म को संविधान अधिनियम 01.01.2013 के अनुसार पंजीकृत होना चाहिए जिसमें कम से कम 04 एफ०सी०ए० पार्टनर हों। फर्म के पास आई०सी०ए०आई० द्वारा जारी प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
7.	आवेदन कर्ता फर्म का एक कार्यालय लखनऊ में स्थित होना चाहिए अन्यथा की स्थिति में उन्हें एक कार्यालय लखनऊ में स्थापित किए जाने की बाध्यता होगी।
8.	जिन फर्मो को शासनादेश संख्या 28/54-1-11-8(5)/2013 **दिनांक 18 अप्रैल, 2013 द्वारा डब्ल्यू०सी०डी०सी०, पी०आई०ए० एवं डब्ल्यू०सी० स्तर के ऑडिट** के लिए नामित किया गया है, वे फर्मे इस कार्य के लिए अर्ह नहीं होंगी।

निर्धारित दर (वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु) :-

1. **वाटरशेड कमेटी की ऑडिट रिपोर्ट का प्रोजेक्टवार संकलन एवं परियोजनाओं, डब्ल्यूसीडीसी तथा पीआईए की ऑडिट रिपोर्ट का बैचवार/जनपदवार संकलन** तथा **जनपदों की ऑडिट रिपोर्ट्स का राज्य स्तर पर संकलन** हेतु निर्धारित **पारिश्रमिक ₹ 2000/- (रूपये दो हजार मात्र) प्रति परियोजना** होगा, जिसमें **डब्ल्यू०सी०डी०सी० की संस्थागत मद की रिपोर्ट्स का संकलन** भी सम्मिलित रहेगा।
2. **एस०एल०एन०ए० के परियोजना एवं संस्थागत मद** का ऑडिट किये जाने हेतु निर्धारित **पारिश्रमिक ₹ 1,50,000/- (रूपये एक लाख पचास हजार मात्र)** होगा।

नोट:-

1. समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०एम०पी०) की समान मार्गदर्शी सिद्धान्त-2008 (यथा संशोधित-2011) भारत सरकार की वेबसाइट **http://nraa.gov.in** एवं **http://dolr.nic.in** पर उपलब्ध है।
2. इच्छुक फर्म अपने प्रार्थना पत्र में पूर्ण पता, दूरभाष संख्या (एस०टी०डी० कोड सहित)/ई-मेल एड्रेस/मोबाइल संख्या अवश्य अंकित करें, ताकि प्रार्थना पत्रों को परीक्षणोपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्पर्क किया जा सके।
3. प्रार्थना-पत्र **मुख्य कार्यकारी अधिकारी/संयुक्त सचिव, स्टेट लेवेल नोडल एजेन्सी, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, 23सी, गोखले मार्ग, लखनऊ** को सम्बोधित होना चाहिए।
4. अधूरे / अस्पष्ट प्रार्थना पत्रों को अथवा प्रार्थना पत्रों के बिना कारण बताये अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार शासन के पास सुरक्षित है।

संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी